न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 344/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 91/2026, आरक्षी केन्द्र सिवाना,
CNR : RJBA010009682026

सौकत खान पुत्र मलूक खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजड़ो की बस्ती बामणौर, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/2026, पुलिस थाना सिवाना, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 324(2) व 309(6) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री मदनलाल जोगसन, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटना दिनांक 20.04.2026 की बताई है जबकि रिपोर्ट दिनांक 22.04.2026 को दो दिन देरीना पेश की है जिसका कोई कारण

नहीं बताया गया है, जबकि पुलिस थाना घटनास्थल से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है । यह भी तर्क दिया कि परिवादी ने उससे एक मोबाईल वीवो वाई 16 जिसके कवर में 2,500/– रुपये व उसका लाईसेंस था, उससे जबरन लूटकर ले जाना बताया है परन्तु लूट की कोई राशि प्रार्थी से बरामद नहीं हुई है । केवल मात्र प्रार्थी के विरुद्ध लूट का प्रकरण बनाने के उद्देश्य से रुपये लूटकर ले जाना प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया है ।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा मारपीट नहीं की गई थी । प्रार्थी दिनांक 29.06.2026 से अभिरक्षा में है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज होकर लंबित नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । सहअभियुक्त बरकत खान का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उससे गंभीर प्रकृति का नहीं है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । आहत दिनांक 20.04.2026 को पिकअप वाहन में भेड़ें भरकर जा रहा था उस समय प्रार्थी ने परिवादी/आहत अली खां को रोककर उसके साथ मारपीट की वाहन को क्षतिग्रस्त किया तथा परिवादी से एक मोबाईल वीवो वाई 16 जिसके कवर में 2,500/– रुपये व उसका लाईसेंस लूटकर ले गया । प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	वर्तमान स्थिति
–	–	–	–	–	–

6. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि दिनांक 20.04.2026 को परिवादी/आहत अली खां उसके वाहन पिकअप नंबर आरजे 16 जीए 7243 में भेड़ें भरकर जा रहा था उस समय प्रार्थी ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसकी गाड़ी रुकवाकर उसके साथ मारपीट की, गाड़ी के कांच तोड़े तथा मोबाईल व रुपये लूटकर ले गये। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से

प्रार्थी से कोई रुपये बरामद होना नहीं बताया गया है तथा अली खां के साथ मारपीट करने का कारण सहअभियुक्त बरकत खान द्वारा दूसरा विवाह करना, जिसका अली खां द्वारा विरोध करने पर मारपीट करना बताया है। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज होकर लंबित नहीं है । प्रार्थी दिनांक 29.06.2026 से अभिरक्षा में है। सहअभियुक्त बरकत खान का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उससे गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । अतः इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त सौकत खान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

8. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

HITESH MANGNANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by
HITESH MANGNANI
Date: 2026.07.10
10:02:49 +0530